न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 47 / 2024

दायर दिनांक–01.04.2024

1. चमन प्रकाश सिह पुत्र ईश्वरसिंह
2. सायर कंवर पत्नि ईश्वरसिंह जाति राजपूत निवासी जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–वादीगण

बनाम

1. चैनसिंह पुत्र विक्रमसिंह
2. नरपाल सिंह पुत्र विक्रमसिंह
3. मनोहर कंवर पत्नि विक्रमसिंह जाति राजपूत निवासी जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू।
4. कमोद कंवर पुत्री भंवर सिंह पत्नि पुष्पसिंह जाति राजपूत निवासी जाखल हाल आबाद कापडोद तहसील व जिला डीडवाना कुचामन
5. मगन कंवर पत्नि दातार सिंह
6. भवानी सिंह पुत्र दातार सिंह
7. सोहनसिंह पुत्र दातार सिंह
8. जोगेन्द्र सिंह पुत्र श्रवण सिंह
9. निरंजन सिंह पुत्र श्रवण सिंह
10. सम्पत सिंह पुत्र श्रवण सिंह
11. रामकंवर पत्नि श्रवण सिंह
12. उगम कंवर पत्नि गिरवर सिंह
13. उषा कंवर पुत्री गिरवर सिंह
14. पूनम कंवर पुत्री गिरवर सिह
15. सुभम सिह पुत्र गिरवर सिंह
16. संजू कंवर पत्नि दरियाव सिंह
17. मंजू कंवर पुत्री दरियाव सिंह
18. युवराज सिंह पुत्र दरियाव सिंह जाति राजपूत निवासी जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
19. सरपंच ग्राम पंचायत जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
20. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा जाखल जरिये शाखा प्रबंधक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
21. केनरा बैंक शाखा नवलगढ़ जरिये शाखा प्रबंधक केनरा बैंक शाखा नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
22. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – **श्री दीपेन्द्र सिंह जाखड़**
वकील प्रतिवादी :– एकपक्षीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:39:35 IST
Reason: SelfAttested

रिकॉर्ड दुरूस्ती व स्था[illegible]

:: निर्णय ::–

दिनांक– 30.[illegible]25

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि ग्राम [illegible]खल की सरहद में स्थित भू[illegible] नम्बर 741, 742, 745, 747, 1171/742 रकबा क्रमशः 1.76, 0.94, 1.1800, 1.8500, 0.2400 कुल किता 5 कुल रकबा 5.9700 है0 तथा भूमि खसरा नम्बर 744 रकबा 0.9200 है0, खसरा नम्बर 1172/744 रकबा 0.4700 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.3900 है0 भूमि शामलाती राजस्व रिकॉर्ड की भूमि है जिसमें वादीगण

प. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

1/4 हिस्से के, प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 7 1/4 हिस्से के तथा प्रतिवादीगण संख्या 08 लगायत 11 1/4 हिस्से के तथा प्रतिवादीगण संख्या 12 लगायत 18 को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

प्रतिवादीगण 1 लगायत 19 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर विवादित भूमि या इसके किसी भी भू भाग को हस्तांतरित नही करें, वादीगण को विवादित में उनके हक हिस्से और कब्जे काश्त की भूमि से जबरन लठ के बल पर बेदखल नही करें। भूमि में नये रास्ते कायम नही करें भूमि पर प्लाटिंग काटकर भूमि को खुर्द बुर्द नही करें भूमि पर से हरे पेड़ नही काटे। ऐसा कार्य न तो स्वयं करें ना ही किसी अन्य से करवाये।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई।

प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वकील वादी ने शहादत वादी चमनप्रकाश सिंह का चीफ का सपथ पत्र पेश किया। वादी द्वारा अपने वाद–पत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेजात नकल जमाबंदीयां तथा नकल नक्शा सीट आदि पेश किये।

बहस वकील एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 18 की पैत्रिक संपति है जिसका राजस्व रिकॉर्ड गलत दर्ज चला आ रहा है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।। फलस्वरूप वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम जाखल की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 741, 742, 745, 747, 1171/742 रकबा क्रमशः 1.76, 0.94, 1.1800, 1.8500, 0.2400 कुल किता 5 कुल रकबा 5.9700 है0 तथा भूमि खसरा नम्बर 744 रकबा 0.9200 है0, खसरा नम्बर 1172/744 रकबा 0.4700 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.3900 है0 भूमि में वादीगण को 1/4 हिस्से का, प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 7 को 1/4 हिस्से का तथा प्रतिवादीगण संख्या 08 लगायत 11 को 1/4 हिस्से का तथा प्रतिवादीगण संख्या 12 लगायत 18 को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 19 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि में वादीगण के हक हिस्से की भूमि के किसी भाग पर दखंलदाजी पैदा नही करें। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:39:35 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणार्थ, रिकॉर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा।

मुकदमा सं0:– 47/2024 **(चमन प्रकाश आदि बनाम चैनसिंह आदि)**

अंतिम पर्चा डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 30.04.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम जाखल की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 741, 742, 745, 747, 1171/742 रकबा क्रमशः 1.76, 0.94, 1.1800, 1.8500, 0.2400 कुल किता 5 कुल रकबा 5.9700 है0 तथा भूमि खसरा नम्बर 744 रकबा 0.9200 है0, खसरा नम्बर 1172/744 रकबा 0.4700 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.3900 है0 भूमि में वादीगण को 1/4 हिस्से का, प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 7 को 1/4 हिस्से का तथा प्रतिवादीगण संख्या 08 लगायत 11 को 1/4 हिस्से का तथा प्रतिवादीगण संख्या 12 लगायत 18 को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 19 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि में वादीगण के हक हिस्से की भूमि के किसी भाग पर दखंलदाजी पैदा नही करें। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 30.04.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (ह०)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:39:35 IST
Reason: SelfAttested